देवघर समाहरणालय
(जिला भू–अर्जन शाखा)

–: अधिसूचना :–

संख्या 10/15-16/313 /भू अ0 दिनांक : 09.9.15

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :– **सिंहपुर**, थाना :– **कुण्डा**, थाना सं०–**388**, अंचल:– देवघर, जिला :– देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **देवघर हवाई अड्डा विस्तारीकरण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम :–**सिंहपुर**, थाना :–**कुण्डा**, थाना सं० :– 388, अंचल:– देवघर, जिला :– देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **23.45** एकड़ का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :– ....

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड. सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	3	कामत	बाड़ी–1	3.19	प्रदीप देव वो प्रमोद देव वो मनोज देव, पिता– स्व. कृष्ण प्र0 देव वो माया देवी, पति–नरेश प्र0 देव वो सुधांसु देव, पिता– भुषण प्र0 देव वो सर्वेश्वर प्र0 देव, पिता– स्व. इन्द्र नारायण देव वो रमेश देव वो गणेश देव वो संजय देव, पिता– स्व. रतनेश्वर प्र0 देव वो जय प्रकाश नारायण देव, पिता– स्व. विजय नारायण देव।	अंश खेसरा–1, ,2, 6, 72	अंश खेसरा संख्या–13 ,18,75 एवं 14,	मौजा–कटिया	मोजा सिंहपुर योगडीह एवं बाबुपुर
2	6	7	कामत		0.03	कामत अरपतिनीधि				
3	6	8	कामत	बाड़ी–1	0.36					
4	6	16	कामत	बाड़ी–1	0.06					
5	6	14	कामत	बाड़ी–1	1.74					
6	6	13	कामत	बाड़ी–1	15.14					
7	1	21	कामत	बाड़ी–1	0.03	कामत भुपेन्द्र कु0 चक्रवर्ती				
8	1	12	कामत	बाड़ी–1	2.90					
		कुल योग–			**23.45**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योज़ना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

9.9.15

अपर समाहर्त्ता,
देवघर।

E/2015 LA/ New Adhiyachna of aerodram/Adhisuchana Babupur

ज्ञापांक 10/15-14/313 भू अ0, देवघर, दिनांक 09.9.15

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुखिया, संबंधित ग्राम पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, ~~मधुपुर~~ देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, ~~मधुपुर~~ देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को तीन प्रति में दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिपिलि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

9.9.15

अपर समाहर्त्ता,
देवघर।